

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पर्यटन अनुभाग

देहरादून दिनांक 10 जनवरी, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद हेतु अनुदान धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-389/2-3-43/2017-18, दिनांक 10.01.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। शासनादेश संख्या-1400/VI(1)/2017-02(17)/2011, दिनांक 16 जून, 2017 के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 का लेखानुदान (1 अप्रैल से 31 जुलाई, 2017 तक) में अनुदान संख्या-26 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद के लिए अनुदान हेतु ₹ 513.76 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

उक्त शासनादेश के साथ संलग्न परिशिष्ट के क्रमांक-4(2) के अनुसार चारधाम यात्रा व्यवस्था के अन्तर्गत वर्ष 2013 में श्री हेमकुण्ड साहिब में स्थापित किये गये 10 अतिरिक्त प्री-फ़ैब्रीकेटेड बायो डिग्रेडेबल शौचालय मद हेतु अवमुक्त धनराशि ₹ 70.06 लाख में से अवशेष धनराशि ₹ 4,55,050/ (रूपये चार लाख पचपन हजार पचास मात्र) को चारधाम यात्रा मार्ग पर सफाई व्यवस्था, पेयजल, दवाईयों का छिड़काव हेतु निम्न शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (i) धनराशि अवमुक्त से सम्बन्धित पूर्व शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगे।
- (ii) स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (iii) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 एवं समय-समय पर इस सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
- (iv) वितरण अधिकारी के द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर बी0एम0-8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी के द्वारा अनुवर्ती माह की 05 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय-12 के प्रस्तर-116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर-128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का

संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा और नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर-130 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

- (v) आवंटित धनराशि का उपभोग 31 मार्च, 2018 तक कर लिया जाय। अवशेष धनराशि समयान्तर्गत शासन को समर्पित कर दी जाय।
- (vi) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत की जा रही है। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा। बजट योजनावार आवंटन उसके विपरीत मासिक योजनावार व्यय का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
- (vii) वित्तीय वर्ष के अन्त में कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
- (viii) मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

2- उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-26 के लेखाशीर्षक-3452-पर्यटन-80-सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद-00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के मानक मद के नामे डाला जायेगा।

तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

भवदीय,

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या :- 1150/VI(1)/2017-02(17)/2011, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
- 3- बजट अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, देहरादून।
- 6- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(गरिमा सैकली)
संयुक्त सचिव।